भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2169

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

.....

मोकामा टाल परियोजना

2169. श्री शंभू शरण पटेल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा पटना जिले में मोकामा टाल परियोजना के लिए बिहार सरकार को कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मोकामा टाल परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है;

(घ) कया बिहार सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार से मोकामा टाल परियोजना हेतु किसी भी तरह की सहायता मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ङ): यह मंत्रालय चिन्हित जल संसाधन परियोजनाओं के लिए अपनी मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, इस मंत्रालय के अंतर्गत संबंधित तकनीकी संगठनों द्वारा अंतर्राज्यीय नदी प्रणालियों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर वृहद अथवा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है। हालाँकि, जल राज्य का विषय होने के कारण, अपनी प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता आदि के अनुसार जल संसाधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

टाल विकास योजना, जिसकी अनुमानित लागत 1,178.5 करोड़ रुपये है, की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अगस्त, 2020 में इस मंत्रालय के तहत गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को बिहार सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई थी। दिसंबर, 2020 में, जीएफसीसी द्वारा उसी पर कुछ अतिरिक्त जानकारी/अनुपालन मांगे गए थे, जिनका राज्य सरकार द्वारा अनुपालन किया जाना बाकी है।

डीपीआर में परियोजना को पूरा करने के लिए इंगित समय सीमा लगभग तीन वर्ष है। हालाँकि, इस मंत्रालय के तहत सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा परियोजना को स्वीकार किए जाने के बाद, अपनी प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता आदि के अनुसार स्कीम का कार्यान्वयन शुरू करना और संसाधनों का आबंटन करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

इस समय, इस परियोजना के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा इस मंत्रालय को अग्रेषित नहीं किया गया है। किसी भी मामले में, इस मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत किसी परियोजना को केन्द्रीय सहायता पर विचार करने के लिए एडवाइजरी समिति द्वारा स्वीकृति पूर्व-अपेक्षा है।

*****